कार्यवृत्त

बुधवार, 01 आश्विन, शक संवत्, 1942
(दिनांक : 23 सितम्बर, 2020)

खण्ड–57

अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 विधायक श्रीमती ममता राकेश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चार विधायकों को ट्रैक्टर से आने पर बैरिकेडिंग पर रोकने का विषय उठाया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी बात हो गई है, वे आने वाले हैं। मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा कोविड–19 के रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना लिए जाने की मांग की गई। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के मध्य यह सत्र हो रहा है। मैं सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि कोविड–19 संक्रमण से रोकथाम हेतु विधान सभा मण्डप के अतिरिक्त अधिकारी दीर्घा, प्रेस दीर्घा, दशर्क दीर्घा एवं विधान सभा परिसर में प्रकाश पन्त भवन के सभा कक्ष संख्या–107 में भी मा0 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान केन्द्र वीडियों कान्फ्रेन्सिग स्टूडियो तथा सचिवालय स्थित एन0आई0सी0 वीडियो कान्फेन्सिग स्टूडियो में मा0 सदस्यों द्वारा वर्चुअली विधान सभा सत्र से जुड़ने की व्यवस्था भी की गयी है। मैं घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 3 (ब) के अन्तर्गत उपरिवर्णित दीर्घायें, सभा कक्ष संख्या–107 एवं वीडियो कान्फेन्सिग स्टूडियो सभा मण्डप के अंग माना जायेगें तथा सभा संचालन नियमावली एवं आनुषंगिक निर्देशों से आच्छादित होंगे।

वर्चुअली जुड़ने वाले मा0 सदस्य सदन में उपस्थित माने जायेंगे। वर्चुअली जुड़ने वाले मा0 सदस्य जब सभा की कार्यवाही में प्रतिभाग करने हेतु कुछ बोलना चाहेंगे तो अपना हाथ खड़ा करेंगे, तक पीठासीन अधिकारी उनका नाम पुकारेंगे। बैकअप व्यवस्था के अन्तर्गत स्टूडियो में तकनीकी मदद के लिये उपस्थित एन0आई0सी0 अधिकारी आन लाइन मैंसेंजर के माध्यम से सदस्य का नाम टाइप कर विधान सभा नोडल अधिकारी को भेजेंगे। इस दायित्व के निर्वहन के लिये सम्बन्धित अधिकारी को मात्र सत्र के उपवेशन की अवधि के लिये विधान सभा सचिवालय से सम्बद्ध माना जायेगा।

सम्मानित सदन अवगत है कि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सत्र का आयोजन हो रहा है। अतः मा0 सदस्यों को सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करते समय व्यवस्था सम्बन्धित कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है, परन्तु हमारे महान देश के पथ प्रदर्शक भारत के संविधान की भावना एवं अपरिहार्य अवश्यंभावी प्राविधानों का पालन करने के लिये आशा है कि सभी का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान में माननीय सदस्यों से प्रक्रियात्मक अनुशासन एवं धैर्य की अपील करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–315 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे आज की कार्यसूची के मद संख्या–22 में वर्णित कार्य– मंत्रणा की सिफारिशों को सर्वप्रथम ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 सितम्बर, 2020 की बैठक में आज दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

23 सितम्बर, 2020
बुधवार

कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नकाल नहीं होगा तथा आज 23 सितम्बर, 2020 की कार्यसूची में सम्मिलित प्रश्न उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत उत्तरित मान लिए जाएंगे।

(1) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।

(2) औपचारिक कार्य।

(3) विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत हैं। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

निधन के निदेश प्रारम्भ हुए। इसी बीच भारतीय राष्टीय कांग्रेस के चार मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री मनोज रावत, एवं श्री आदेश सिंह चौहान सदन में उपस्थित हुए और कहा कि वे ट्रैक्ट्रर से आ रहे थे, तो उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। साथ ही उन्होंने कोविड–19 तथा बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में अपनी नियम–310 की सूचनाओं को लिए जाने पर बल दिया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा पहले निधन के निदेश होने दें।

स्व0 प्रणव मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, भारत स्व0 श्री बृजमोहन कोटवाल पूर्व सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा, तथा स्व0 श्री नारायण सिंह भैसोडा, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री ने शोकोद्गार व्यक्त किए।
निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये :–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान,
2. श्री मुकेश कोली,
3. श्री प्रीतम सिंह,
4. श्री कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'',
5. श्री राम सिंह कैड़ा।

मा0 उपाध्यक्ष ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों को पहुँचा दी जायेगी। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा

श्री प्रीतम सिंह काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य अपने– अपने स्थान पर खड़े होकर द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे दी गई सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सून लेंगे।

परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य सदन की कार्यवाही रोककर नियम– 310 में चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़े रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की गयी। जो सभी पढ़ी हुई मानी गईः–

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजनान्तर्गत ग्राम महली–बधानणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	गौरा देवी कन्या धन योजना 2017 का भुगतान ना होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
3. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	वृद्व पेंशन योजना बन्द किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
4. श्री हरबंस कपूर	देहरादून कैंट विधान सभा क्षेत्र के विजय पार्क के मोहित नगर क्षेत्र के अधिकांश भाग में पेयजल की समस्याओं के सम्बन्ध में।
5. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा क्षेत्र कपकोट के क्षेत्रान्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटैक्निक भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती ममता राकेश	प्रदेश के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में ई0एस0आई0 अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री चन्दन राम दास — विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में बेस अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

9. श्री राम सिंह गैड़ा — विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के खनस्यू तहसील में स्टाफ व भवन निर्माण न होने समे व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

10. श्री मनोज रावत — प्रदेश के कई जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन/अभियान के तहत वर्ष 2018–19 एवं 2020–21 में छूटे स्वीकृत शौचालय की निर्माण राशि शीघ्र भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में

11. श्री आदेश सिंह चौहान — जसपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर शहर में स्थायी बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री राजकुमार ठुकराल — उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में।

13. श्री बिशन सिंह चुफाल — जनपद पिथौरागढ़ में 27 जुलाई, 2020 को बादल फटने से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास की माँग के सम्बन्ध में।

14. श्री देशराज कर्णवाल — कोरोना संक्रमण महामारी के दौर में सरकारी कोरोना यो्द्धाओं को अनहोनी होने पर दी जाने वाली सरकारी सहायता के तर्ज पर निजी अस्पतालों के कोरोना यो्द्धाओं को भी सरकारी सहायता देने के सम्बन्ध में।

श्री प्रीतम सिंह काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं विपक्ष के मा0 सदस्य नारेबाजी करते हुए 'वेल' में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। श्री उपाध्यक्ष ने मा0 सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा परन्तु श्री उपाध्यक्ष के बार–बार अनुरोध करने पर भी विपक्ष के मा0 सदस्य 'वेल' में नारेबाजी करते रहे। जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2020 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (5) के प्राविधानानुसार उपधारा (4) के अधीन जारी अधिसूचना सं0 119/XXX–5/20–38(55) 2019, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–झ (4) एवं अनुच्छेद 243–म (2) के अधीन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा की गई अन्य संस्तुतियों" पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कठिनाईयों के निवारण आदेशों को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड " भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–1 वर्ष 2020) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय–IX के अन्तर्गत धारा–78 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव (प्रभारी), विधान सभा ने घोषित किया किः–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(संशोधन), विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(6) ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 मई, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 जून, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

(8) सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(9) संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 19 जून, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(11) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष ने 12 बजकर 26 मिनट पर सदन की कार्यवाही 01:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के मा0 सदस्य पुनः अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे। श्री उपाध्यक्ष ने पुनः कहा कि वे नियम–58 की गाह्यता पर सुन लेंगे। उन्होंने सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य जोर– जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गए। श्री उपाध्यक्ष के बार–बार अनुरोध करने पर मा0 सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–25, 26 एवं 27 पर मा0 सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मक्खनपुर पो0 भगवानपुर में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रमोद पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र ग्राम मक्खनपुर पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हबीबपुर निवादा में शमशान घाट की चारदीवारी व मेन रोड़ तक सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री राजकुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, ग्राम हबीबपूर निवादा पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम फरकपुर डांडा पट्टी पो0 हसनपुर मदनपुर में पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री शुभम पुत्र श्री सुभाष, ग्राम फरकपुर डांडा पट्टी पो0 हसनपुर मदनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)} विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)} विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (जौनसार–बाबर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (जौनसार–बाबर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही 01 बजकर 25 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्यश्री प्रीतम सिंह काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अन्य नियम–310 की सूचनाओं पर चर्चा कराए जाने मांग लेकर 'वेल' में आ गए और 'वेल' से अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा मद संख्या–31 में अपनी बात कहने के लिए हाथ खड़ा किया गया था एवं मा0 उपाध्यक्ष जी से अनुरोध भी किया था परन्तु सम्भवतः व्यवधान में हो रहे शोर के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दी। अतः उन्होंने अपने विशेषाधिकार हनन की सूचना प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आता एवं इसकी मद भी निकल गई है। मा0 सदस्यों द्वारा उन्हें अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने का आग्रह बार–बार किया गया इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे मा0 सदस्य का बार–बार अनुरोध पर अपनी सूचना संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहे हैं परन्तु इसे नजीर न समझा जाए। मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला ने अपनी विशेषाधिकार की सूचना प्रस्तुत की, जिस पर मा0 उपाध्यक्ष ने कहा वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 सितम्बर, 2020 की बैठक में दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

सितम्बर, 2020

23 (बुधवार) विधायी कार्यः–

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
4. हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
6. महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
8. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
9. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)} विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
10. बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
11. व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
12. औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
13. कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
14. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
15. उत्तराखण्ड (जौनसार–बाबर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
16. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
17. उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
18. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
19. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत हैं। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–16, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–139, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–7, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, परिशिष्ट–1 एवं 2, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)} विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)} विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

है।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्री प्रीतम सिंह एंव विपक्ष के मा0 सदस्यों ने यह कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (जौनसार–बाबर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला एवं श्री मुन्ना सिंह चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (जौनसार–बाबर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–60, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री उपाध्यक्ष द्वारा सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की गयी।

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कई वर्षों से कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को ग्रेड पे न दिए जाने व समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के संबंध में व्याप्त असंतोष सम्बन्ध में।
3. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	जनपद अल्मोड़ा के मोहान–भतरौंजखान तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व चौड़ीकरण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
4 .श्री हरबंस कपूर	राजधानी देहरादून में ड्रेनेज की कोई प्रभावी योजना न होने के कारण जनता को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में।"
5. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में निर्माणधीन रा0इ0का0 उर्गम के भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब से जनता/जनप्रतिनिधियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
6. श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल	कपकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कमेड़ीदेवी–मलसूना–टकनार मोटर मार्ग के भैंसूड़ीगाड़ तथा वनेगाड़ में मोटर पुलों के निर्माण में हो रहे विलम्ब से क्षेत्र में व्याापत असंतोष के सम्बन्ध में।
7. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में सीवर लाईन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
8. श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत विद्युत विभाग की लापरवाही होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
9. श्री मनोज रावत	जनपद चमोली के ग्राम खगेली व कौंणी लगा खगेली, प0वृ0 सिरोसैंण कर्णप्रयाग, में ग्रामवासियों से चाय बगान हेतु ली गई भूमि के सम्बन्ध में।
10. श्री राजकुमार ठुकराल	रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित तीन प्रमुख सड़क मार्गों के निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

11.श्रीमती ममता राकेश — विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत ग्राम मक्खनपुर के शासकीय चिकित्सालय में डायलिसिस, अल्ट्रासाउण्ड एवं ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

12 .श्री विशन सिंह चुफाल — जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीवी टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग के जौलजीवी से तालेश्वर तक जीर्ण–शीर्ण सड़क से जनता को होने वाले परेशानी के सम्बन्ध में।

13. श्री देशराज कर्णवाल — उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) नियम 1954 के नियम 48 (क) 7 के उप नियम (1) के अन्तर्गत गन्ना किसानों को गन्ने का करोड़ो रूपयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि सम्मानित सदन का यह सत्र अतयन्त चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में सम्पन्न हुआ कोविड–19 महामारी के बीच हमारे सदन में स्थानाभाव के कारण माननीय सदस्यों को दीर्घा तथा सभा कक्ष में बैठाए जाने की व्यवस्था करनी पड़ी तथा माननीय सदस्यों को वर्चुवल रूप से भी जोड़ा गया, परन्तु हर्ष और गर्व की बात यह है कि उत्तराखण्ड राज्य ने इस चुनौती का सूझ–बूझ और परिपक्वता के साथ समाधान निकाला इस कार्य के लिए हमें सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।

मा0 राज्यपाल का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ उसके लिए में सदन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय नेता सदन मा0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, ने स्वयं इसमें व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर आगे आकर व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी अनके बहुमूल्य सुझावों से इस सत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ हुई मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

हमारे अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी का भी धन्यवाद व अभिनन्दन करता हूँ। उन्होंने सभी पक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्थाओं को अपनी देख–रेख में सुनिश्चित कराया प्रत्येक व्यवस्था को बारीकी से देखकर सुनिश्चित करने की उनकी आदत के आधार पर ही सत्र सफलतापूर्वक आयोजित हो पाया। सदस्यों को वर्चुवल जोड़ने का उन्ही की परिकल्पना है और हमें खुशी है कि इसमें सफल रहे।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय की गहराईयों से सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग लेने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमारे प्रदेश की विविधता विधायिका की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री राम सिंह कैड़ा जो प्रथम बार निर्वाचित होने के साथ वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री केदार सिंह रावत, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री खजान दास जी, श्री विजय सिंह पंवार जी, दीर्घा में बैठकर सदन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। यह अनुकरणीय संसदीय परम्परा और नौजवान सदस्यों के लिए प्रेरणादायी है। मैं सम्मानित सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री यशपाल आर्य जी, श्री हरबन्स कपूर जी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल जी, श्री बंशीधर भगत जी, श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्री चन्दन राम दास जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री राजकुमार जी, श्री भरत सिंह चौधरी जी, श्री दलीप सिंह रावत जी, श्री महेश सिंह नेगी जी, श्री नवीन चन्द्र दुम्का जी, श्री संजीव आर्य जी, श्रीमती चन्द्रा पन्त जी, श्रीमती मीना गंगोला जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, वर्चुवल रूप से सदन की कार्यवाही से जुड़े रहे, मैं आप सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ,

इसके अतिरिक्त मैं एन0आई0सी0 और आई0टी0डी0ए0 के अधिकारियों और कर्मचारियों के वर्चुवल संयोजन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी सेवाएं त्वरित रूप से सुनिशचित करते हुए कोविड–19 टेस्टिंग स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध कराई। मैं प्रदेश के शासन, प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का भी उनकी सदन में दी गई सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बन्धुओं का भी विशेष रूप से आभारी हूँ यद्यपि आज कोविड–19 प्रोटोकाल की असुविधाओं के कारण हम उन्हें विधान सभा परिसर में प्रवेश नहीं दे पाए परन्तु उनका सहयोग हमें सत्र की तैयारियों के समय पूर्ण रूप से कवरेज के रूप में प्राप्त हुआ। अन्त में विधान सभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्र के आयोजन कराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 04 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ।

मुकेश सिंघल
सचिव, (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

रघुनाथ सिंह चौहान
उपाध्यक्ष,
विधान सभा।